केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 05.01.2017

वक्तब्य/ समाचार अंश का खण्डन

मीडिया के कुछ क्षेत्रों में श्री राजेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. से सम्बन्धित प्रकाशित/ प्रसारित वक्तब्य/ समाचार अंश का सीबीआई दृढ़ता से खण्डन करती है।

ऐसा आरोप है जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, जहाँ पर वह कार्यरत थे, से आई.टी. से सम्बन्धित ठेके को प्राप्त करवाने में मैसर्स इनडेवोर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (ई.एस.पी.एल.) को सहायता पहुँचाते थे, ये आरोप जून, 2015 से पब्लिक डोमेन में थे एवं ये आरोप दिल्ली डॉयलाग कमीशन के तत्कालीन सचिव के द्वारा लगाये जा रहे थे।

उचित मूल्यांकन के पश्चात, सीबीआई ने दिसम्बर, 2015 में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया एवं लगभग एक वर्ष तक मामले की गहनता से जॉंच करने के पश्चात, दिनांक 03.12.2016 को विशेष न्यायाधीश की अदालत पटियाला हाऊस कोर्ट में उनके एवं अन्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया। श्री राजेन्द्र कुमार एवं अन्यों के विरूद्ध जॉंच की अवधि के दौरान एकत्र किये गए सभी प्रमाणों को अदालत के समक्ष पेश किया गया।

संक्षेप में, अभियोजित मामला यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार ने वर्ष 2010-2014 में दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड ; स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ; व्यापार एवं कर विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य करने के दौरान मैसर्स ई.एस.पी.एल., एक कम्पनी, जिसे उनकी ओर से सह-आरोपी द्वारा प्रबन्धित की जा रही थी, के पक्ष में ठेका दिलवाने में अपनी आधिकारिक स्थित का दुरूपयोग किया। जॉंच से पता चला कि 3.3 करोड़ रू. के लगभग का कमीशन/ घूस भी मैसर्स

ई.एस.पी.एल. द्वारा प्राप्त किया गया। तलाशी के दौरान, श्री राजेन्द्र कुमार के घर से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुए जिसे वास्तव में मैसर्स ई.एस.पी.एल. द्वारा उनके लिए खरीदा गया था।

जाँच से यह भी पता चला कि आई.टी. सम्बन्धित कार्यों को प्रदान करने में मैसर्स ई.एस.पी.एल. का पक्ष लेने की प्रक्रिया के दौरान, मौजूदा आई.टी. सिस्टम के विकास,जिस पर विभाग द्वारा पर्याप्त धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी थी, बेकार चली गई, इससे सरकारी खजाने को 12 करोड़ रू. के लगभग की अनुचित हानि हुई।

आरोप पत्र दाखिल करने के बाद संयोग वस सामने आये श्री राजेन्द्र कुमार के आरोप, कि इस मामले में एक राजनैतिक कार्यकारी को फंसाने के लिए सीबीआई अधिकारियों के द्वारा गवाहों/ आरोपी को धमकाया जा रहा है, पूरी तरह से आधारहीन है एवं इसका खण्डन किया जाता है। कुछ आरोपी जिन्हें जाँच की अवधि के दौरान गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई के द्वारा शारीरिक पताड़ना के आरोप को सामने लाने का मौका था जब उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया था। लेकिन एक व्यक्ति जिसने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में समादेश याचिका भी दायर की, लेकिन जब माननीय अदालत ने देखा कि वह सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहा है एवं जाँच से भाग रहा है, जिसका दिनांक 3 मई, 2016 को मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रकाशन हुआ, तब उक्त याचिका को वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त कोई भी आरोप उचित समय पर नही लगाया गया।

इस अवसर पर इस तरह का आधारहीन आरोप लगाना, सिर्फ मामले को प्रभावित करने का प्रयास है। जो कि अदालत में चल रहा है।